सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 16, सोमवार, *शाके* 1948- अप्रेल 06, 2026 Chaitra 16, Monday, Saka 1948- April 06, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

इंदिरा गांधी नहर विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 13, 2026

संख्या एफ 3(8) इगानवि/भू.अ./2025 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नवीन नहर निर्माण हेतु चूरू जिले की चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर में 1. बिल्यू माईनर किमी 0.000 से 19.130 किमी तक 2. मेहरासर माईनर किमी 0.000 से 6.900 किमी तक 3. देवगढ़ माईनर किमी 0.000 से 3.900 किमी तक 4. धीरवास सब माईनर किमी 0.000 से 2.730 किमी तक 5. डुगरपुरा माईनर किमी 0.000 से 13.155 किमी तक एवं 6. तारानगर माईनर किमी 0.000 से 14.200 किमी तक (कुल 6 माईनरों) के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, 10वॉ खण्ड, इगानप, तारानगर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 4(6) के अन्तर्गत सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी इ.गा.न.प., बीकानेर को उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न-सूची

आज्ञा से,

अमरजीत सिंह,

शासन उप सचिव,

इंदिरा गांधी नहर विभाग जयपुर।

विवरण

फॉर्म-2

(देखे नियम-5)

पार्ट-बी

समाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता, 10वॉ खण्ड, इगानप, तारानगर
(क)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के (1) मेहरासर माईनर के निर्माण आरडी किमी 0 से 6.900 तक हेतु जिला चुरू तहसील भानीपुरा की ग्राम पंचायत बिल्यू बास रामपुरा, देवासर, सहजासर की कुल 40.25 हैक्टेयर भूमि (2) बिल्यू माईनर के निर्माण आरडी 0 से 19.13 किमी हेतु जिला चुरू तहसील भानीपुरा की ग्राम पंचायत मेहरासर उपाधियान, रायपुरा, रातुसर एवं बिल्यू बास रामपुरा की 125.90 हैक्टेयर भूमि (3) धीरवास सब माईनर के किमी 0 से 2.730 के निर्माण हेतु जिला चुरू तहसील तारानगर कि ग्राम पंचायत धीवास बड़ा, धीरवास छोटा की कुल 13.7246 हैक्टेयर भूमि (4) देवगढ़ माईनर के किमी 0 से 3.900 के निर्माण हेतु जिला चुरू तहसील तारानगर की ग्राम पंचायत लुडानिया बड़ा, झाडसर कांधलान, देवगढ़ की 19.5324 हैक्टेयर भूमि। (5) डुंगरपुरा माईनर के किमी 0 से 13.155 के निर्माण हेतु जिला चुरू तहसील तारानगर की ग्राम पंचायत दुलेरी, भनीण, डाबडी बड़ी, डाबडी छोटी, ढाणी मेघसर, ढाणी चारणान, ढाणी कुलडीयान, झाडसन कांधलान, कालवास, झाडसर गजिया, लुडनीया की कुल 54.4525 हैक्टयेर भूमि । (6) तारानगर माईनर के किमी 14.200 के निर्माण

		हेतु जिला चुरू तहसील तारानगर ग्राम पंचायत अलायला, आनन्दसिंह पुरा एवं तारानगर कस्बे की कुल 46.909 हैक्टयेर भूमि अधिग्रहित की जानी है। **(कुल भूमि 300.7685 हैक्टयेर सम्पूर्ण योजना हेतु)**
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्धेश्य और महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा-2(1) के अंतर्गत लागू नहीं है
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड.)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	लागू नहीं है
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, 10वॉ खण्ड, इगानप, तारानगर (चूरू) में उपलब्ध

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।